



**झारखंड सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
अधिकार अभिलेख

**रैयत का नाम, अभिभावक का नाम, रिश्ता**

मन्दु मोदक, पिता-सुकदेव मोदक 5 अंश, जाति-., निवासी- व मन्दु मोदक, रम्भा देवी वो रावी देवी, पिता-सुकदेव मोदक 2 अंश समान, जाति-., निवासी- व मन्दु मोदक, रम्भा देवी वो रावी देवी, मुन्देवी रानीकुवर, पति-सुकदेव मोदक 1 अंश, जाति-मोदक, निवासी-निजग्राम पत्रालय के० जी० आश्रम गोसाईडीह

जिला का नाम	धनबाद	अंचल का नाम	गोविन्दपुर	हलका का नाम	हलका-06	मौजा का नाम	साबलपुर	खाता का प्रकार	रैयती
खेवट नम्बर	खाता नम्बर 90		थाना का नाम	थाना नम्बर 126					

खाता नम्बर	खेसरा नम्बर	चौहद्दी उत्तर 3 चौहद्दी दक्खिन 4	किस्म जमीन	मिजान		कैफियत / अभ्युक्ति	हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान/सेस	लगान			खास शर्त
				कियारी संख्या (5)				रौ (10)	आ (11)	पै (12)	
90	404	? - ? -	'मकान मय सहन 0	0.000 एकड़	10.000 डिसमील		आठ रुपया तैतालीस पैसा अलावे शेष 8-43	0	8	43	
	571	? - ? -	पुरानी परती 0	0.000 एकड़	55.000 डिसमील		आठ रुपया तैतालीस पैसा अलावे शेष 8-43				
	573	? - ? -	पुरानी परती 0	1.000 एकड़	99.000 डिसमील		आठ रुपया तैतालीस पैसा अलावे शेष 8-43				
	635	? - ? -	मोटा आर 0	0.000 एकड़	35.000 डिसमील		आठ रुपया तैतालीस पैसा अलावे शेष 8-43				
	636	? - ? -	तालाब 0	1.000 एकड़	79.000 डिसमील		आठ रुपया तैतालीस पैसा अलावे शेष 8-43				
	587	? - ? -	पुरानी परती 0	0.000 एकड़	52.000 डिसमील		आठ रुपया तैतालीस पैसा अलावे शेष 8-43				
	633	? - ? -	'बाईद 0	0.000 एकड़	28.000 डिसमील		आठ रुपया तैतालीस पैसा अलावे शेष 8-43				
	659	? मोलिया	'बाईद 0	0.000 एकड़	11.000 डिसमील	अ०द०- सुरेश	आठ रुपया				

		महताईन ? मधु महतो		एकड़	डिसमील	मोदक पिता रिसी मोदक जाति मैरा नि०निजग्राममु० 1980	तैतालीस पैसा अलावे शेष 8-43				
666		? झुनकु मोदक ? गुहिराम महतो	'बाईद 0	0.000 एकड़	11.000 डिसमील	अ०द०- भूकदा महताईन पति झगडु महतोजाति गोवाला नि० निजग्राम मु० 1980	आठ रुपया तैतालीस पैसा अलावे शेष 8-43				
खाता मे कुल प्लोट संख्या		9	खाता का कुल मिजान (खतियान के अनुसार)		5.000	80.000	खाता का कुल लगान		0	8	43

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

10/12/2022

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।